रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड IV
PART III—Section IV
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 191] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 07, 2019/ज्येष्ठ 17, 1941
No. 191] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 07, 2019/JYAISTHA 17, 1941

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 7 मई, 2019

सं. टीएएमपी/81/2015-आईजीटीपीएल.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा कोचीन पत्तन न्यास में इंडिया गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के मौजूदा दरमानों की वैधता का, इसके साथ संलग्न आदेशानुसार, विस्तार करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या: टीएएमपी/81/2015-आईजीटीपीएल

इंडिया गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड - - - **आवेदक**

गणपूर्ति

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(मई, 2019 के 3 रे दिन पारित)

यह मामला कोचीन पत्तन न्यास (सीओपीटी) में इंडिया गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (आईजीटीपीएल) के मौजूदा दरमानों की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2. आईजीटीपीएल के मौजूदा दरमानों को इस प्राधिकरण द्वारा 17 सितंबर, 2016 के आदेश संख्या टीएएमपी/81/2015-आईजीटीपीएल के द्वारा अनुमोदित किया गया था जिसे भारत के राजपत्र में 14 अक्तूबर, 2016 को राजपत्र संख्या 380 अधिसूचित किया गया था। बाद में 15 नवम्बर, 2016 के राजपत्र संख्या 408 में एक सकारण आदेश भी अधिसूचित किया गया था। आदेश में दरमानों की वैधता 31 मार्च, 2019 निर्धारित की गई थी।

3.1. आईजीटीपीएल ने 25 मार्च, 2019 के अपने पत्र में बताया है कि प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 एक व्यापक नीति है। तथापि, आईजीटीपीएल प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के आधार पर प्रशुल्क संशोधन का प्रस्ताव बना रहा है और उस प्रस्ताव को यथाशीघ्र दायर करने पर सहमत भी है।

3.2. तदनुसार, आईजीटीपीएल ने हमे मौजूदा दरमानों के वैधता का विस्तार तब तक करने का अनुरोध किया है जब तक कि नया अनुमोदित प्रशुल्क लागू नहीं हो जाता।

4.1. चूंकि आईजीटीपीएल के मौजूदा प्रशुल्क की वैधता 31 मार्च, 2019 को समाप्त हो गई है और आईजीटीपीएल द्वारा किये गए अनुरोध और उसके द्वारा बताये गए कारणों, तथा प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के अनुसार आईजीटीपीएल द्वारा दायर (किये जाने वाले) प्रस्ताव के संसाधन में लगने वाले समय को देखते हुए और प्रशुल्क में निर्वात से बचने के लिए आईजीटीपीएल के मौजूदा दरमानों की वैधता का विस्तार 31 मार्च, 2019 से आगे करना उपयुक्त समझा जाता है।

4.2. तदनुसार, यह प्राधिकरण आईजीटीपीएल के मौजूदा प्रशुल्क की वैधता का विस्तार 6 महीने की अवधि के लिए यानी 01 अप्रैल, 2019 से 30 सितंबर, 2019 तक या जब तक संशोधित दरमान लागू नहीं हो जाते, जो भी पहले हो, करता है।

4.3. जहां तक प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का संबंध है, यह सुविचार में लेते हुए कि वैधता का विस्तार 30 सितंबर, 2019 तक किया गया है, और संशोधित दरमान समय पर लागू हो जाएं, आईजीटीपीएल को प्रशुल्क में सामान्य संशोधन का अपना प्रस्ताव 31 मई, 2019 तक दायर करने की सलाह दी जाती है।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./76/19]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th May, 2019

No.TAMP/81/2015-IGTPL.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the India Gateway Terminal Private Limited in the Cochin Port Trust as in the Order appended hereto.

TARRIF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No.TAMP/81/2015-IGTPL

The India Gateway Terminal Private Limited - - - Applicant

QUORUM

(i) Shri T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
(ii) Shri Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 3rd day of May 2019)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the India Gateway Terminal Private Limited (IGTPL) operating at the Cochin Port Trust (COPT).

2. The existing Scale of Rates (SOR) of IGTPL was approved by this Authority vide Order No.TAMP/81/2015-IGTPL dated 17 September 2016 which was notified in the Gazette of India on 14 October 2016 vide Gazette No.380. Subsequently, a speaking Order was notified vide Gazette No.408 dated 15 November 2016. The Order prescribed the validity of the SOR till 31 March 2019.

3.1. The IGTPL vide its letter dated 25 March 2019 has stated that, the Tariff Guidelines, 2019 is a broad Policy framework. However, IGTPL is in the process of formulating a proposal for revision of tariff based on Tariff Guidelines, 2019 and also agreed to file it at the earliest.

3.2. Accordingly, the IGTPL has requested us to grant an extension of the validity of the existing SOR until implementation of newly approved tariff.

4.1. Since the validity of the existing tariff of IGTPL has expired on 31 March 2019 and based on the request made by IGTPL for the reasons cited by it and considering the time required for processing the proposal (to be) filed by the IGTPL as per Tariff Guidelines, 2019 and in order to avoid a vacuum in the tariff, it is felt appropriate to extend the validity of the existing tariff of IGTPL beyond 31 March 2019.

4.2. Accordingly, this Authority extends the validity of the existing tariff of IGTPL for a period of 6 months i.e. from 01 April 2019 to 30 September 2019 or till the revised tariff comes into effect, whichever is earlier.

4.3. With regard to submission of the proposal, considering that the validity has been extended upto 30 September 2019 and the revised SOR may have to be in place in time, the IGTPL is advised to file its proposal for general revision of its tariff by 31 May 2019.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./76/19]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.06.08 15:42:40 +05'30'